## :: आदेश ::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के क्रम में राजस्व विभाग, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भूलेख अनुभाग के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित राजस्व उप निरीक्षकों का स्थानान्तरण उनके नाम मे सम्मुख अंकित राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/तहसील में निम्नानुसार किया जाता है :–

**धारा–6 (क) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण ;**

| क्र0 सं0 | राजस्व उप निरीक्षक का नाम | वर्तमान तैनाती क्षेत्र/तहसील | नव तैनाती राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/तहसील | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सोबन सिंह नेगी | पौखाल/घनसाली | विनकखाल/बालगंगा | |
| 2 | श्री सतीश प्रसाद डोभाल | अखोड़ी/घनसाली | कुर्न/देवप्रयाग | |
| 3 | श्री रविन्द्र नाथ | कोठी/टिहरी | बौंठ/देवप्रयाग | |

**धारा–6 (ख) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण ;**

| क्र0 सं0 | राजस्व उप निरीक्षक का नाम | वर्तमान तैनाती क्षेत्र/तहसील | नव तैनाती राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/तहसील | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री सोमवारी लाल सेमवाल | मिण्डाथ/पावकी देवी | कोठी/टिहरी | |

**धारा–6 (ग) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण ;**

| क्र0 सं0 | राजस्व उप निरीक्षक का नाम | वर्तमान तैनाती क्षेत्र/तहसील | नव तैनाती राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र/तहसील | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री बच्चीराम लखेड़ा | मुयालगॉव/घनसाली | महड़/देवप्रयाग | |

1. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22 (1) के अनुसार आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित कार्मिक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक के स्थानान्तरण आदेश जारी होने के सात दिन पश्चात उसका वेतन आहरित नहीं करेंगे। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य "कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time)" का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य "यात्रा अवधि (Journey time)" का ही उपभोग कर सकेंगे।
2. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कामिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0/–
( सोनिका )
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

क्रमश :– 2

**कार्यालय जिला अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।**

संख्या– 1658 /सात–121 (2) (2016–2017) दिनांक, नई टिहरी, जून 25, 2019.

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि आदेश की प्रति उत्तराखण्ड की वेबसाइड में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।
3. समस्त उप जिलाधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. समस्त तहसीलदार, टिहरी गढ़वाल/नायब तहसीलदार।
5. कोषाधिकारी, नरेन्द्रनगर, उप कोषाधिकारी, घनसाली/देवप्रयाग/प्रतापनगर।
6. सम्बन्धित कार्मिक।

अपर जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।